न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी प्रकरण क्र.– I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/2618 सन् 2017

1. सुनील तिवारी तनय स्व.श्री रामस्वरूप तिवारी, आयु 38 वर्ष
निवासी– वार्ड नं.12 नौगांव, तहसील नौगांव, जिला छतरपुर म.प्र.
2. सुशील तिवारी तनय स्व.श्री रामस्वरूप तिवारी, आयु 35 वर्ष
निवासी– वार्ड नं.12 नौगांव, तहसील नौगांव,
जिला छतरपुर म.प्र. -------- निगरानीकर्तागण

बनाम

1. प्राचार्य, पॉलीटेक्निक कॉलेज नौगांव, तहसील नौगांव जिला छतरपुर म.प्र.
2. शासन म.प्र., द्वारा : कलेक्टर जिला छतरपुर म.प्र.-------- गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी–विरूद्ध श्रीमान कलेक्टर महोदय छतरपुर के प्रकरण क्र.28/स्व.प्रे.निग./अ–6–अ/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 31.07.2017

अन्तर्गत धारा–50 म.प्र.भू.रा.संहिता

महोदय,

निगरानीकर्तागण श्रीमान के समक्ष सादर निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करते हैं :–

1. यह कि गैर निगरानीकर्ता क्र.01 के आवेदन पर व अनुविभागीय अधिकारी नौगांव ने प्रतिवेदन अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर महोदय छतरपुर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया, कि भूमि खसरा नं.1/130 एवं 1/131 रकबा 3.93 एकड़ स्थित मौजा नौगांव की भूमि शासकीय भूमि है, जो प्राचार्य पॉलीटैक्निक कालेज नौगांव को एलॉट की गयी थी, जिसे शासकीय खसरा में हल्का पटवारी द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के सुन्दरलाल तिवारी का नाम दर्ज किया गया है और अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण क्र.28/स्व.प्रे.निग./अ–6–अ/2012–13 दिनांक 24.01.2013 पंजीबद्ध की जाकर निगरानीकर्तागणों को दिनांक 18.01.2017 को नोटिस जारी किये गये थे।

क्रमशः–2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

I / निगरानी / छतरपुर / भू0रा0 / 2017 / 2618

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17 –8–2017	आवेदक अभिभाषक ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा कलेक्टर जिला छतरपुर प्रकरण कमांक 28 / स्व0प्रे0निग0 / अ–6–अ / 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 31–7–17 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है। प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि पर स्वमेव निगरानी में कार्यवाही को लंबित रखने के उद्देश्य से आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष अपील एवं व्यवहार न्यायालय में वाद दायर किये गये हैं। इसी कारण कलेक्टर द्वारा आवेदक की आपत्ति का निराकरण विस्तार से विवेचना कर आदेश दिनांक 31–7–17 से किया है तथा प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया है। कलेक्टर द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है। आवेदक कलेक्टर के समक्ष अपना पक्ष रखने के स्वतंत्र है। दर्शित परिस्थितियों यह निगरानी आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	